कार्यालय – जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट।

आदेश संख्या–59 /2025 **दिनांक– 15 अप्रैल, 2025**

आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 14/2025 दिनांक 09.01.2025 द्वारा दिनांक 14.04.2025 को स्थानीय अवकाश किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 4379/एडमिन (ई–I) सेक्शन/XC-4/ dated: Allahabad: 11.04.2025 द्वारा 14 अप्रैल, 2025 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में किसी चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय खोले जाने हेतु निर्देश दिया गया है।

अतः पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश 14 अप्रैल, 2025 (सोमवार) के एवज में जिलाधिकारी चित्रकूट के कैलेण्डर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को महाअष्टमी के पर्व पर अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को इस न्यायिक अधिष्ठान के वाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर सहित सभी न्यायालय में अवकाश रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2025 (सोमवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के एवज में दिनांक 27.09.2025 (चतुर्थ शनिवार) को इस न्यायिक अधिष्ठान के वाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर सहित सभी न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु खोले जाएंगे।

सर्व संबंधित सूचित हो।

Rakesh K. Tripathi
15-04-25
(राकेश कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश
चित्रकूट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, चित्रकूट।
2. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3. पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।
4. जिला कारागार, चित्रकूट।
5. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. वाह्य न्यायालय मऊ व ग्राम न्यायालय मानिकपुर सहित सभी न्यायालयों को सूचनार्थ।
7. जिला बार एसोसिएशन, कर्वी, चित्रकूट।
8. सदर नाजिर, जनपद न्यायालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
9. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

15.4.2025
प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, चित्रकूट।